न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 41/2018/223 आरटीए

महेन्द्रसिंह पुत्र बलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा हाल दुकान नं. 40 नई धान मण्डी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

————रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा मु.न. 286/2017 अनवानी महेन्द्रसिंह बनाम तहसीलदार पीलीबंगा

उपस्थित :–

श्री शमशेरसिंह अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक 22.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 136 आरटीए पेश किया कि चक 1 एसजीआर ए तहसील पीलीबंगा के खाता सं. 74/73 जमाबंदी सम्वत 2070–73 मे प.न. 14/302 मु.न. 13 कि.न. 1 ता 25/0.253 है0 प्रत्येक कुल 6.325 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमे वादी का नाम सुखमेन्द्रसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह वल्द बलवंतसिंह अंकित किया हुआ है जबकि वादी का नाम महेन्द्र सिंह पुत्र बलवंतसिंह है, इसलिए उक्त आराजी भूमि मे वादी का नाम सुखमेन्द्रसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह के स्थान पर शुद्धि की जाकर वादी का नाम महेन्द्रसिंह की घोषणा की जावें। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि विचारणीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री गलत, विधिविरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा अपने पहचान संबंधी दस्तावेज परिवार राशन कार्ड सन् 2002, परिवार राशन कार्ड सन् 2013, इण्डेन गैस सिलेण्डर पास बुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये थे

लेकिन विचारणीय न्यायालय द्वारा इन तथ्यो की ओर ध्यान ना देकर कानूनी भूल की है। रेस्पो0 द्वारा भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई विरोध नही किया गया परन्तु विचारणीय न्यायालय द्वारा विरोध न होने के बावजूद भी अपीलांट का वाद खारिज किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर चक 1 एसजीआर ए तहसील पीलीबंगा के खाता सं. 74/73 जमाबंदी सम्वत 2070–73 मे प.न. 14/302 मु.न. 13 कि.न. 1 ता 25/0.253 है0 प्रत्येक कुल 6.325 है0 आराजी मे वादी का नाम सुखमेन्द्र उर्फ महेन्द्रसिंह के स्थान पर शुद्धि की जाकर वादी का नाम महेन्द्र की घोषणा की जाकर तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन हेतु आदेश दिया जावें।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि चक 1 एसजीआर ए तहसील पीलीबंगा के खाता सं. 74/73 जमाबंदी सम्वत 2070–73 मे प.न. 14/302 मु.न. 13 कि.न. 1 ता 25/0.253 है0 प्रत्येक कुल 6.325 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमे अपीलांट का नाम सुखमेन्द्रसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह वल्द बलवंतसिंह अंकित किया हुआ है जबकि अपीलांट का नाम महेन्द्र सिंह पुत्र बलवंतसिंह है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न पहचान संबंधी दस्तावेज परिवार राशन कार्ड सन् 2002, परिवार राशन कार्ड सन् 2013, इण्डेन गैस सिलेण्डर पास बुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा हाजा न्यायालय मे फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत ग्राम पंचायत सरांवावाला पंचायत समिति पीलीबंगा का प्रमाण से साबित होता है कि सुखमेन्द्रसिंह पुत्र बलवंतसिंह व महेन्द्रसिंह पुत्र बलवंतसिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है तथा महेन्द्रसिंह पुत्र बलवंतसिंह की कृषि भूमि चक 1 एसजीआर ए तहसील पीलीबंगा के खाता सं. 74/73 जमाबंदी सम्वत 2070–73 मे प.न. 14/302 मु.न. 13 मे कि.न. 1 ता 25/0.253 प्रत्येक कुल 6.325 है0 है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वाद अपीलांट खारिज कर दिया गया है जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2018 अपास्त किया जाता है

तथा वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 1 एसजीआर ए तहसील पीलीबंगा के खाता सं. 74/73 जमाबंदी सम्वत 2070–73 मे प.न. 14/302 मु.न. 13 मे कि.न. 1 ता 25/0.253 प्रत्येक कुल 6.325 है0 सुखमेन्द्रसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह पुत्र बलवंतसिंह के नाम दर्ज की घोषणा की जाकर तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड मे चक 1 एसजीआर ए तहसील पीलीबंगा के खाता सं. 74/73 जमाबंदी सम्वत 2070–73 मे प.न. 14/302 मु.न. 13 मे कि.न. 1 ता 25/0.253 प्रत्येक कुल 6.325 है0 सुखमेन्द्रसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह पुत्र बलवंतसिंह के नाम दर्ज की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 07/2007/223 आरटीए

नोपा बेवा हनुमान सिंह जोजा गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– अपीलांट

बनाम

1. हनुमान सिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. परमेश्वरी पत्नि रेवन्तसिंह जोजा गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी राईया वाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. सरबती पत्नि सुलतान सिंह जोजा गुलाबसिंह जाति राजपूत तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
5. सब रजिस्ट्रार नोहर।

––––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2006 उपखण्ड अधिकारी नोहर
मु.न. 206/99 अनवानी नोपा बनाम हनुमानसिंह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट, श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 एवं श्री कुलदीप बैनीवाल

राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2006 अपास्त किया जाता है तथा वाद वादिया डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मेघाना के खसरा नं. 388 की 33.19 बीघा, खसरा नं. 425 की 8.04 बीघा कुल 42.03 बीघा भूमि मे वादिया/अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 1 ता 3 प्रत्येक 1/4-1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उक्त चक की भूमि से मालसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 27.09.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ